सन् 1882 ई0 में लिखित अपनी पुस्तक में श्री साधूवरण प्रसाद ने हिन्दूओं के तीर्थस्थानों में भी सिंहेश्वर महादेव की चर्चा की है। मौजा गौरीपुर तौजी नं0–790 थाना नं0–203 दरभंगा महाराजके द्वारा मंदिर की व्यवस्था के लिए दानस्वरुप भूमि प्रदान की गई। पूर्व में यहाँ के पंडा पुजारियों ने जब शिव के राग–भोग पूजा पाठ मंदिर के रख–रखाव, यात्रियों एवं श्रद्धालुओं की सुविधा तथा अतिथि सत्कार से मुँह मोड़कर मात्र अपनी सुख सुविधा और धनोपार्जन में लग गये तो स्थानीय लोगों में क्षोभ पैदा लिया और व्यवस्था परिवर्त्तन के लिए सन् 1937 ई0 में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 92 के आलोक में अधिकार वाद संख्या–13 वर्ष 1937 जिला जज, भागलपुर के न्यायालय में मुकदमा दायर कर इसे सार्वजनिक सम्पति घोषित करते हुए उसकी नयी व्यवस्था के लिए अनुरोध किया। पक्षकारों के अनेकों मौखिक एवं दस्तावेजी प्रमाणों की स्थानीय जांच का प्रतिवेदन एवं धार्मिक ग्रन्थों के प्रसंगों के आधार पर विद्वान अपर जिला जज, भागलपुर ने सिंहेश्वर मंदिर की सारी चल एवं अचल सम्पतियों को सार्वजनिक घोषित करते हुए इसकी व्यवस्था हेतु योजना बनाई जिसके अनुसार एक समिति गठित की गई, जिसका नाम सिंहेश्वर नाथ मंदिर न्यास समिति पड़ा जिसके कार्यकारी अध्यक्ष, पदेन अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा को बनाया गया। अपर जिला जज, भागलपुर के दिनांक–10.08.1945 के निर्णय और उसके अनुरुप तैयार डिग्री की बैधता की चुनौती प्रतिवादियों (पंडों) ने माननीय उच्च न्यायालय, पटना में अपील फाईल कर दी जो पक्षकारों की सुनवाई उपरान्त खारीज कर दी गई। उपरोक्त योजना के अनुसार सिंहेश्वर मंदिर की व्यवस्था चलने लगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार हिन्दु धार्मिक अधिनियम, 1950 ई0 बनाई गयी जो 15 अगस्त, 1951 से सम्पूर्ण बिहार बिहार में प्रभावी हुआ। वर्ष 1993 में सिंहेश्वर मंदिर की सुव्यवस्था हेतु बिहार राज्य धार्मिक बोर्ड, पटना द्वारा एक स्कीम बनाई गई, जिसके विरुद्ध पंडा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एक रीट याचिका संख्या–5788 वर्ष 1993 में दायर की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–24.05.95 को सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति से सम्बन्धित इसके संचालन पूर्व में बनी योजना की विखंडित करते हुए गठित समिति को भंग कर जिला जज, मधेपुरा को नयी समिति बनाकर इसे दिनांक–01.01.96 से प्रभावी बनाने की निदेश दिया गया। जिसके अनुरुप बिहार राज्य धार्मिक अधिनियम के मूल भावना को देखते हुए एक नई योजना बनाई जो दिनांक–01.01.96 से प्रभावी हुआ। पुनः अक्टूबर, 2007 में माननीय जिला जज, मधेपुरा द्वारा पूर्व योजना में आंशिक संशोधान करते हुए एक योजना बनाई गई जिसके तहत बनी प्रबंध समिति में कुल ग्यारह सदस्य हैं, जिसका कार्यकाल पहुंच वर्षो का है।

01.	न्यायमूर्त्ति श्री सुरेश चन्द्र मुखर्जी अवकाश प्राप्त	अध्यक्ष
02.	प्रभारी न्यायाधीश 'प्रशासन' व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा सम्प्रति	प्देन उपाध्यक्ष

03.	अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा सम्प्रति श्री गोपाल मीणा, भा. प्र. से.	पदेन सचिव
04.	कुलपति, भूपेन्द्र ना0 मंडल वि0 विद्यालय, मधेपुरा	पदेन सदस्य
05.	श्री इन्द्र ना0 ठाकुर, पंडा गौरीपुर	सदस्य
06.	श्री नित्यानन्द सिंह, सरोपट्टी	दाता सदस्य
07.	श्री गंगा विष्णु दास, गौरीपुर	सदस्य
08.	श्री हरि प्रसाद टेकरीवाल, सिंहेश्वर	सदस्य
09.	डा0 अरुण कुमार मण्डल, मधेपुरा	सदस्य
10.	डा0 मृत्युंजय प्रसाद सिंह, अधिवक्ता, मधेपुरा	सदस्य
11.	डा0 दिवाकर प्रसाद सिंह, सिंहेश्वर	सदस्य

वर्त्तमान न्यास समिति ने मंदिर एवं न्यास के विकास के लिए अनेकानेक और भविष्य में न्यास के सर्वागीन विकास के प्रयत्नशील है। सिंहेश्वर मंदिर को बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों के श्रेणी में रखने के लिए इसे नये सिरे से सजाने संवारने और पर्यटकों के आवास हेतु यात्रिका आदि के निर्माण के लिए मास्टर प्लान बनाई जा रही है। जिसके अनुसार नव निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा। सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति में 15 (पन्द्रह) स्थायी कर्मचारी कार्यरत हैं तथा 12 (बारह) मानदेय भोगी कर्मचारी कार्यरत हैं।